मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 378] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2010—आषाढ़ 29, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्र. 14553-वि.स./विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई 2010 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

(क्रमांक १६ सन् २०१०)

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, २०१०.

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. वृहद् नाम का स्थापन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा ४ और ५ का स्थापन.
५. धारा ६ का स्थापन.
६. धारा ९ का स्थापन.
७. धारा ११ का स्थापन.
८. धारा १२-क का अंत:स्थापन.
९. धारा १३-क का अंत:स्थापन.

मध्यप्रदेश विधेयक

(क्रमांक १६ सन् २०१०)

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, २०१०.

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, २००४ को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

वृहद् नाम का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, २००४ (क्रमांक ६ सन् २००४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) में, वृहद् नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहद् नाम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"जनसाधारण के हित में और सांप्रदायिक सद्भाव तथा शांति बनाए रखने के लिए गौवंश वध का प्रतिषेध करने तथा गौवंश के परिरक्षण तथा संरक्षण के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.".

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(ङ) "वध" से अभिप्रेत है, किसी भी पद्धति से, चाहे वह कुछ भी हो, हत्या करना और उसमें इस प्रकार अंगहीन करना या कोई शारीरिक चोट पहुंचाना भी सम्मिलित है, जिससे सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हो जाए या अप्राकृतिक मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कृत्य करना;

(ङ क) "परिवहन" से अभिप्रेत है, सिवाय उस स्थिति के, जबकि ऐसा परिवहन वास्तविक कृषि या आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो, गौवंश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो किसी यान द्वारा या पैदल ले जाना;

(ङ ख) "परिवाहक" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है वह व्यक्ति,—

(एक) जो गौवंश या गौमांस का परिवहन करने वाले यान का स्वामी है, यदि गौवंश या गौमांस उसके अनुदेश से या उसकी जानकारी में बुक किया गया है;

(दो) जो गौवंश या गौमांस का परिवहन करने वाले यान का तत्समय प्रभारी तथा उसका सहायक है;

(तीन) जो गौवंश तथा गौमांस का परिवहन करने वाली परिवहन कम्पनी का तत्समय प्रभारी है, यदि बुकिंग उसके अनुदेश से या उसकी जानकारी में की गई है;

(चार) जो किसी परिवहन फर्म का भागीदार है, यदि बुकिंग उसके अनुदेश से या उसकी जानकारी में की गई है.".

धारा ४ और ५ का स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ और ५ के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

गौवंश के वध का प्रतिषेध.

"४. कोई भी व्यक्ति, किन्हीं भी साधनों से, किसी गौवंश का न तो वध करेगा, न वध करवाएगा और न तो उन्हें वध के लिए देगा और न ही उन्हें वध के लिए दिलवाएगा.

५. कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में वध किए गए किसी गौवंश के गौमांस को अपने कब्जे में नहीं रखेगा या उसका परिवहन नहीं करेगा.''. गौमांस रखने और उसके परिवहन का प्रतिषेध.

५. मूल अधिनियम की धारा ६ के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:— धारा ६ का स्थापन.

''६. कोई भी व्यक्ति जिसमें परिवाहक भी सम्मिलित है, किसी गौवंश का, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में, उसके वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए कि उसका इस प्रकार वध किया जाएगा या उसके वध किए जाने की संभावना है, राज्य के भीतर या राज्य के बाहर, स्वयं या अपने एजेंट, नौकर द्वारा, या उसके निमित्त कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, परिवहन नहीं करेगा या उसे परिवहन के लिए नहीं देगा या उसका परिवहन नहीं करवाएगा. वध के लिए गौवंश के परिवहन पर प्रतिषेध.

६-क (१) कोई भी व्यक्ति, जिसमें परिवाहक भी सम्मिलित है, किसी गौवंश का स्वयं या अपने एजेंट, नौकर द्वारा या उसके निमित्त कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उपधारा (२) में यथा उपबंधित अनुज्ञापत्र के बिना राज्य के किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान को निर्यात नहीं करेगा या निर्यात नहीं करवाएगा. गौवंश के निर्यात का प्रतिषेध और अनुज्ञापत्र का मंजूर किया जाना.

(२) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, कृषिक या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए या किसी पशु मेले में भाग लेने के लिए और इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए जो वध के प्रयोजन से भिन्न हों, मध्यप्रदेश से गौवंश का निर्यात करने के लिए इस निमित्त आवेदन प्रस्तुत किए जाने के सात दिन के भीतर अनुज्ञापत्र मंजूर कर सकेगा.

(३) उपधारा (२) के अधीन अनुज्ञापत्र की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति, जो सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित है, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर संभागीय आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, और संभागीय आयुक्त ऐसा आवेदन किया जाने पर, किसी आदेश की शुद्धता, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मामले के अभिलेख मंगा सकेगा और उनका परीक्षण कर सकेगा तथा ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत और उचित समझे और संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

६-ख. कोई भी व्यक्ति, जिसमें परिवाहक भी सम्मिलित है, मध्यप्रदेश राज्य से होकर गौवंश का परिवहन नहीं करेगा और यदि कोई व्यक्ति, जिसमें परिवाहक भी सम्मिलित है, एक राज्य से दूसरे राज्य को मध्यप्रदेश राज्य से होकर किसी गौवंश का परिवहन करना चाहता है तो वह सक्षम प्राधिकारी से ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, अभिवहन अनुज्ञापत्र प्राप्त करेगा.''. मध्यप्रदेश से होकर गौवंश के परिवहन का प्रतिषेध और अभिवहन अनुज्ञापत्र का दिया जाना.

६. मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ९ का स्थापन.

''९. (१) जो कोई धारा ४ के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का प्रयास करेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा, किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जाएगा. शास्ति.

(२) जो कोई धारा ५, ६, ६-क और ६-ख के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का प्रयास करेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से जो छह मास से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जाएगा.''.

धारा ११ का स्थापन.

७. मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं स्थापित की जाए, अर्थात्:—

प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण की शक्ति.

"११. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी को या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के किसी भी ऐसे परिसर में, जिसके कि संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है, प्रवेश करने तथा उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी और वह आवश्यक कार्रवाई करेगा.

(२) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट किए गए ऐसे किसी परिसर पर अधिभोग रखता हो, सक्षम प्राधिकारी को या सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उस परिसर में ऐसा प्रवेश करने हेतु अनुज्ञात करेगा, जैसा कि वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित करे और यथास्थिति, वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार देगा.

(३) हेड कांस्टेबल की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, धारा ४, ५, ६, ६-क और ६-ख के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से कि उक्त धाराओं के उपबंधों का अनुपालन किया गया है,—

(क) गौवंश या गौमांस के निर्यात के लिए उपयोग में लाए गए अथवा उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित किसी यान को रोक सकेगा, उसमें प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ख) ऐसे गौवंश का, जिसके संबंध में उसे यह संदेह हो कि धारा ४, ५, ६, ६-क और ६-ख के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, उस यान सहित, जिसमें ऐसा गौवंश या गौमांस पाया जाता है, अभिग्रहण कर सकेगा या उसके अभिग्रहण को प्राधिकृत कर सकेगा और उसके पश्चात् इस प्रकार अभिगृहीत किए गए गौवंश और यान को विचारण के लंबित रहने तक, किसी न्यायालय में पेश करने और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समस्त उपाय कर सकेगा अथवा उपाय किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा.

(४) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का सं. २) की धारा १०० के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे.

(५) धारा ४, ५, ६, ६-क और ६-ख के किसी उल्लंघन की दशा में, पुलिस किसी यान, गौवंश और गौमांस को अभिगृहीत करने के लिए सशक्त होगी और जिला मजिस्ट्रेट ऐसे यानों, गौवंश और गौमांस का ऐसी रीति में अधिहरण करेगा जैसी कि विहित की जाए.

अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील.

११-क. (१) धारा ११ की उपधारा (५) के अधीन अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, या यदि ऐसे आदेश के तथ्यों की संसूचना उसे नहीं दी गई हो तो ऐसे आदेश की जानकारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, संभागीय आयुक्त (जो इसमें इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है), को लिखित में, अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति सहित जिसके साथ ऐसी फीस दी जाएगी और जो ऐसी रीति में देय होगी, जैसी कि विहित की जाए, अपील कर सकेगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिन की कालावधि की संगणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जो अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित रहा हो.

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किया गया अपील प्राधिकारी, अपील का ज्ञापन प्रस्तुत किया जाने पर, अभिग्रहण करने वाले अधिकारी और किसी अन्य व्यक्ति को, जिस पर कि अपील प्राधिकारी की राय में अधिहरण के आदेश के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, अपील की सुनवाई की सूचना देगा और मामले के अभिलेख मंगाएगा :

परन्तु अपील की कोई औपचारिक सूचना अपीलार्थी को, अभिग्रहण करने वाले अधिकारी और किसी अन्य व्यक्ति को जिसका पूर्वोक्तानुसार प्रतिकूलतः प्रभावित होनां संभाव्य है, दी जाना आवश्यक नहीं होगी जिसे अपील की सुनवाई की तारीख, अपील प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य रीति में सूचित की जा सकती हो.

(३) अपील प्राधिकारी, अपील किए जाने की सूचना जिला कलक्टर को लिखित में भेजेगा.

(४) अपील प्राधिकारी, अधिहरण की विषयवस्तु की अभिरक्षा या उसके व्ययन (यदि आवश्यक हो) के लिए ''अंतरिम'' स्वरूप के ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि उसे उस मामले की परिस्थितियों में न्याय संगत या उचित प्रतीत हों.

(५) अपील प्राधिकारी, मामले की प्रकृति या उसमें अन्तर्ग्रस्त जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए अपील के पक्षकारों को, उनका प्रतिनिधित्व उनके अपने-अपने विधि व्यवसायियों द्वारा किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा.

(६) अपील की सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख को, या ऐसी तारीख को, जिसको कि सुनवाई स्थगित की जाए, अपील प्राधिकारी अभिलेख का परिशीलन करेगा और अपील के पक्षकारों की, यदि वे स्वयं उपस्थित हों तो वैयक्तिक रूप से या लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किए गए किसी अभिकर्ता के मार्फत या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत, सुनवाई करेगा और उसके पश्चात् अधिहरण के आदेश की पुष्टि करने, उसे उलटने या उसे उपांतरित करने का आदेश पारित करने के लिए अग्रसर होगा :

परन्तु कोई अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व, यदि अपील के उचित विनिश्चय के लिए यह आवश्यक समझा जाए तो अपील प्राधिकारी अतिरिक्त जांच या तो स्वयं कर सकेगा या जिला कलक्टर से करवा सकेगा और किसी ऐसे तथ्य का, जो विचारार्थ उद्‌भूत हो, प्रख्यान या खण्डन करने के लिए, पक्षकारों को शपथ-पत्र फाइल करने के लिए भी अनुज्ञा दे सकेगा और तथ्यों के सबूत शपथ-पत्र द्वारा दिए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा.

(७) अपील प्राधिकारी पारिणामिक स्वरूप के ऐसे आदेश भी पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे.

(८) अंतिम आदेश की या पारिणामिकस्वरूप के आदेश की प्रति अनुपालन के लिए या अपील प्राधिकारी के आदेश के अनुरूप कोई अन्य समुचित आदेश पारित करने के लिए, जिला कलक्टर को भेजी जाएगी.

अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण.

११-ख. अपील का कोई भी पक्षकार, जो अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए अंतिम आदेश से या पारिणामिकस्वरूप के आदेश से व्यथित हो, उस आदेश के, जिसके कि विरुद्ध आक्षेप किया जाना ईप्सित है, तीस दिन के भीतर, उस सेशन न्यायालय को पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जिसके सेशन खण्ड के भीतर अपील प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के अधीन तीस दिन की कालावधि की संगणना करने में, वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जो अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित रहा हो.''.

धारा १२-क का अंत: स्थापन.

८. मूल अधिनियम की धारा १२ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत: स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अभिगृहीत गौवंश का पोषण.

"१२-क. राज्य सरकार, अभिगृहीत गौवंश को खिलाने-पिलाने और उनके पोषण के प्रयोजन हेतु ऐसी रीति में आवश्यक कार्रवाई करेगी जैसी कि विहित की जाए.".

धारा १३-क का अंत:स्थापन.

९. मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत: स्थापित की जाए, अर्थात् :—

सबूत का भार अभियुक्त पर होगा.

"१३-क. जहां कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां यदि अभियोजन प्रथमत: उसके विरुद्ध प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्थिति में है तो यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई अपराध कारित नहीं किया है.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में गौवंश के वध का प्रतिषेध करने के लिए मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, २००४ (क्रमांक ६ सन २००४) प्रवृत्त है, कतिपय कमियों के कारण पूर्वोक्त अधिनियम वांछित उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सका है.

२. उपरोक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली कमियों का निराकरण करने तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए और विभिन्न उपबंधों का कड़ाईपूर्वक क्रियान्यवन करने हेतु राज्य सरकार को समर्थ बनाने के लिए यह विनिश्चित किया गया है कि इस अधिनियम को यथोचित् रूप से संशोधित किया जाए.

३. प्रस्तावित विधेयक की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :—

(एक) खण्ड ३—"वध", "परिवहन" तथा "परिवाहक" शब्दों की परिभाषाएं जोड़ी जाने के लिए प्रस्तावित की गई हैं.

(दो) खण्ड ४—धारा ४ तथा ५ के उपबंधों को पुनरीक्षित किया गया है.

(तीन) खण्ड ५-गौवंश के परिवहन तथा निर्यात के प्रतिषेध का उपबंध प्रस्तावित है, अनुज्ञा-पत्र तथा अभिवहन अनुज्ञा-पत्र के उपबंध भी प्रस्तावित किए गए हैं.

(चार) खण्ड ६—धारा ९ में भयपरतिकारी दण्ड का प्रस्ताव किया गया है.

(पांच) खण्ड ७—धारा ११ में तलाशी तथा अभिग्रहण का आवश्यक उपबंध प्रस्तावित किया गया है.

(छह) खण्ड ९—अभियुक्त पर सबूत के भार का उपबंध प्रस्तावित किया गया है.

४. अन्य संशोधन गौण स्वरूप के हैं.

५. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ७ जुलाई, २०१०.

अजय विश्नोई
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक २०१० के जिन खण्डों के द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

खण्ड १ (२):—अधिनियम को प्रभावशील किये जाने की तिथि सुनिश्चित किये जाने;

खण्ड ५:—गौवंश के निर्यात का प्रतिषेध और अनुज्ञा-पत्र को मंजूर किये जाने तथा मध्यप्रदेश से होकर गौवंश के परिवहन को प्रतिषेध और अभिवहन हेतु अनुज्ञा-पत्र की रीति निहित किये जाने;

खण्ड ७:—प्रवेश निरीक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण की शक्ति व अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील किये जाने की रीति विहित किये जाने;

खण्ड ८:—अभिगृहीत गौवंश के पोषण की रीति विहित किये जाने;
के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी. जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.